उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अधिनियम, 2007

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2007)

[जैसा विधान मण्डल संत्र द्वारा पारित हुआ तथा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 17 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 18 जुलाई, 2008 को प्रकाशित किया गया।]

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2006 को निरसित करने के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है –

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2007 कहा जायगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

अध्यादेश संख्या 11 सन् 2007 का निरसन

3–उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश क्रीडा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2005) का अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में क्रीड़ा संघों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन की व्यवस्था करने और क्रीड़ा संघों के क्रिया–कलापों और कार्य–कलापों को सुकर बनाने के लिये किया गया था। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यह विधिक बाध्यता थी कि प्रत्येक क्रीड़ा संध क्रीड़ा निदेशालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराये। उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से मात्र दस क्रीड़ा संघों द्वारा क्रीड़ा निदेशालय ने अपना रजिस्ट्रीकरण कराया गया और शेष क्रीड़ा संघो द्वारा अपना रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के आशय और उपबन्धों का भी घोर विरोध किया जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ एवं अन्य क्रीड़ा फेडरेशनों द्वारा भी उक्त अधिनियम का विरोध किया जा रहा था। क्रीड़ा संघो के अराहयोगात्मक रवैये के कारण प्रतियोगिताएं आयोजित कराने एवं टीमों के चयन में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियन को निरसित कर दिया जाय।

चूंकि, राज्य विधान मण्डल भन्त्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था. अत राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।